

कार्यालय आदेश सं० :- 13/2021

पूर्व मध्य रेल

इस कार्यालय के कार्यालय आदेश सं० 533/2020 पत्रांक समसंख्यक दिनांक 05.10.2020 जिसके तहत चिकित्सा विभाग के संविदा के आधार पर कुल 02 (दो) पारा मेडिकल कर्मचारियों का नियोजन अवधि विस्तार दिनांक 31.12.2020 तक किया गया था।

अब रेल परिषद् के परिपत्र सं० E(NG)II/2005/RC-4/SC/2 Pt.1 दिनांक 31.12.2020 के निर्देशानुसार चिकित्सा विभाग में संविदा के आधार पर कार्यरत कुल 02 (दो) पारा मेडिकल कर्मचारियों का पुनः कार्यभार ग्रहण तिथि से दिनांक 31.03.2021 तक संविदा के आधार पर इंगेजमेंट हेतु निम्नलिखित सेवा शर्तों के आधार पर सेवा विस्तार किया जाता है।

संविदा के आधार पर इंगेज अभ्यर्थियों का नाम, पद, स्टेशन, मानदेय उनके नाम के सामने निम्नानुसार अंकित है :-

क्र०सं०	नाम (श्री)	पिता का नाम	पद	स्टेशन	मानदेय (रूपये में)
1	आशीष रंजन	बिन्देश्वर पटेल	फिजियोथेरापिस्ट	सोनपुर	35400/-
2	कौशर अली	शोहराब अली	फार्मासिस्ट	स्वा० ई० मुजफ्फरपुर	29200/-

कुल 02 (दो) नाम मात्र।

उक्त अवधि विस्तार निम्नलिखित शर्तों से शासित होंगे :-

1. अनुबंध पदभार ग्रहण करने की तिथि से 31.03.2021 तक या नियमित/स्थानान्तरित रेलवे भर्ती बोर्ड से चयनित अभ्यर्थी की उपलब्धता या रेलवे बोर्ड के द्वारा निर्धारित तिथि, इनमें से जो भी पहले हो, तक प्रभावी रहेगा।
2. अनुबंध पूर्णतः अस्थायी होगी। इन्हें कभी भी 14 दिनों की पूर्व सूचना पर सेवा से हटाया जा सकता है। यदि अभ्यर्थी तीन दिन से अधिक लगातार अपने कार्य से अनुपस्थित रहेंगे तो उनकी सेवा स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
3. संविदा आधार पर कार्यरत अभ्यर्थी को रेल आवास, अवकाश, सुविधा पास आदि की सुविधा देय नहीं होगी तथा वे भविष्य में रेल सेवा में समायोजन के लिये इस आधार पर कोई दावा नहीं कर सकेंगे।

उपरोक्त अवधि विस्तार पर मरेप्र महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(रवि कुमार पांडे)  
सकीधि

कृते मरेप्र कार्मिक/सोनपुर  
दिनांक- 06.01.2021

सं०-का/227/9/चिकि०/सीएल/10/08/सोन

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (01) महाप्रबंधक/का०/हाजीपुर
- (02) मुख्य चिकित्सानिदेशक/हाजीपुर
- (03) मुचिधि/सोनपुर
- (04) वमविप्र/सोनपुर
- (05) अमुचिधि/गढ़हरा, मुजफ्फरपुर
- (06) मुकार्याधि/बिल/सोनपुर।
- (07) संबंधित कर्मचारी, अभिलेख प्रति, कार्यालय प्रति।
- (08) कार्यालय आदेशप्रति/संचिकाप्रति
- (09) मंडलमंत्री, ईसीआरकेयु, अजा-अजजा एवंओबीसी एशो० सोनपुरमंडल।

कृते मरेप्र कार्मिक/सोनपुर